

Division (C)

ID-11100

26.6.76



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6 1974/ आषाढ़ 15, 1896

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1974/ASADHA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सार्वजनिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities

(other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 7 जून, 1974

क्रा० आ० 1648—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और मंजूर करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का नाम 'केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) मंजूरन नियम, 1974' है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 की अनुसूची के भाग 5 में, प्रम सं० 2 के सामने मद ख (VII) में, संसद 3, 1, और 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, कमजोर निम्नलिखित अन्तर्स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

प्रदान प्रशासनिक नियंत्रण अधीन  
पदों की शक्ति,

एयर आफीसर कमांडिंग इन-  
चीफ,

एयर आफीसर कमांडिंग इन-चीफ,  
मुख्यालय सं० 1 (प्रचालन) ग्रुप,  
भारतीय वायु सेना।

मुख्यालय सं० 1 (प्रचालन)  
ग्रुप, भारतीय वायु सेना।

[संख्या 7/3/71-स्थापना(ए)]

एम० कृष्णन, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, 7 June, 1974.

S.O.1648—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1974.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Part-V of the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in columns 3, 4 and 5 against Sl. No. 2 in item B (vii) the following shall respectively be inserted after the existing entries, namely:—

Air Officer Commanding-in-Chief Headquarters No. 1 (Operational) Group, Indian Air Force in respect of posts under his administrative control.

Air officer Commanding-in-Chief Headquarters, No. 1 (Operational) Group All Indian Air Force.

[No. 7/3/74 Estt(A)]

S. KRISHNAN, Director